आदेश

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) में [illegible] के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित [illegible] को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थान जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	[illegible]			
1	[illegible] कुमार, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, [illegible]	राजकीय पॉलीटेक्निक, [illegible]	स्वयं के अनुरोध पर
2	श्रीमती [illegible], प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, [illegible]	राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, [illegible]	स्वयं के अनुरोध पर
3	श्रीमती [illegible], प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पॉलीटेक्निक, [illegible]	राजकीय पॉलीटेक्निक, [illegible]	स्वयं के अनुरोध पर
4	[illegible] कुमार सिंह, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पॉलीटेक्निक, [illegible]	राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, झांसी	स्वयं के अनुरोध पर
5	श्रीमती [illegible], प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	राजकीय पॉलीटेक्निक, [illegible]	राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, [illegible]	स्वयं के अनुरोध पर
6	[illegible] सिंह, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालाजी, [illegible]	राजकीय पॉलीटेक्निक, [illegible]	स्वयं के अनुरोध पर
7	श्रीमती [illegible] सिंह, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण	महामाया पॉलीटेक्निक ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालाजी, [illegible]	राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, [illegible]	स्वयं के अनुरोध पर

उपरोक्त में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना [illegible] को भी दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-5/2016/1/1/96 का-4-2016, दिनांक-[illegible] 2016 द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति 2016-2017 एवं शासनादेश संख्या 1000/सोलह-2-2016-38(ई)/2016, दिनांक 02.06.2016 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

([illegible] वर्मा)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0।